

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पावर खरीद की

जमा लागत के निर्धारण के लिए

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

के समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जयपुर

द्वारा दायर याचिका

फरवरी–2017

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर

के समक्ष प्रस्तुत याचिका

फाइलिंग सं.....

प्रकरण सं.....

के मामले में,

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा प्रमाणपत्र और अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढॉचा) विनियम, 2010 के अनुसार वितीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित लेखो के आधार पर वितीय वर्ष 2016-2017 के लिए बिजली खरीद की जमा लागत के निर्धारण के लिए याचिका

याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक इस मामलें में अपनी याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:

विषय वस्तु की सारणी

1. परिभाषाएं.....
2. प्रस्तावना.....
3. जमा लागत.....
4. जविविनिलि के लिए विव 2016–17 की विद्युत क्रय की जमा लागत का निर्धारण.....
5. प्रार्थना.....

परिभाषाएं—

1. **वितरण अनुज्ञप्तिधारी:** का अभिप्राय अधिनियम में यथापरिभाषित, अपने आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युतापूर्ति हेतु वितरण तन्त्र परिचालित व संधारित करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी से है।
2. **न्यूनतम मूल्य:** केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अपने (अक्षय उर्जा उत्पादन हेतु अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र को मान्यता देने व जारी करने के निबन्धन व शर्तों) विनियम, 2010 के अनुसार यथाविनिर्धारित न्यूनतम मूल्य, जिस पर या जिससे उपर विद्युत विनियम में प्रमाण-पत्र का व्यापार किया जा सकता है।
3. **परिहार मूल्य:** केन्द्रीय आयोग द्वारा यथाविनिर्धारित उच्चतम मूल्य।
4. **उर्जा क्रय की पुलित (जमा) लागत:** वह भारित औसत मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने पिछले वर्ष में अपने उत्पादन की लागत, यदि कोई है, सहित, अल्पावधि विद्युत क्रय तथा वे जो अक्षय उर्जा पर आधारित है, को छोड़कर सभी विद्युत आपूर्तिकारों से विद्युत का क्रय किया।
5. **अधिमानता टैरिफ:** अक्षय उर्जा स्रोतों पर आधारित किसी उत्पादन केन्द्र से किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के विक्रय हेतु आयोग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित टैरिफ।
6. **अक्षय उर्जा स्रोत:** में गैर-पारम्परिक अक्षय उत्पादन स्रोत जैसे छोटा एवं सूक्ष्म-जलीय, पवन, संयुक्त चक्र (कम्बाइड साइकल) का एकीकरण सौर तथा सौर अवयव सहित, बाँयोमास, बाँयो-ईंधन, सह-उत्पादन, शहरी या नगरपालिका अपशिष्ट एवं अन्य इसी प्रकार के नवीन अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्रोत (25 मेगा वॉट क्षमता से नीचे के आणविक एवं जलीय ऊर्जा स्टेशन को छोड़कर)

प्रस्तावना

1. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 61, 66, 86(1)(e) तथा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 जारी किये हैं।
2. राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 तथा राविविआ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए विद्युत क्रय तथा अधिप्राप्ति विधि) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 के अनुसार मानित अनुज्ञप्तिधारी सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी अक्षय उर्जा स्रोतों से निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार विद्युत की अधिप्राप्ति करेगा:-

तालिका 1:- अक्षय उर्जा बाध्यता, उर्जा खपत के प्रतिशत में अभिव्यक्त (%)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पवन	बाँयोमास	सोलर	कुल *
1.	2014-15	6.8	0.70	1.50	9.00
2.	2015-16	7.3	0.90	2.00	10.20
3.	2016-17	7.8	1.10	2.50	11.40

टिप्पणी *: राविविआ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए विद्युत क्रय तथा अधिप्राप्ति विधि) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 20 फरवरी 2014 के अनुसार !

3. राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 के अनुसार विद्युत अवयव की प्रभावी कीमत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परिचालन काल के लिए, विद्युत क्रय की पूलित लागत, जो कि वह भारत औसत मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने पिछले वर्ष में अपने उत्पादन की लागत, यदि कोई है, सहित, अल्पावधि विद्युत क्रय तथा वे जो अक्षय उर्जा पर आधारित हैं, को छोड़कर सभी विद्युत आपूर्तिकारों से विद्युत का क्रय किया, के बराबर होगी।
4. विव 2016-17 के लिए विद्युत क्रय की पूलित लागत के विनिर्धारण हेतु जविविनिलि आयोग को विद्युत क्रय की पूलित लागत, विव 2015-16 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर, के परिकलन हेतु याचिका प्रस्तुत कर रहा है।

पूलित (जमा) लागत:

1. राविविआ (अक्षय उर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा), विनियम, 2010 के बन्ध 11, विद्यमान अक्षय उर्जा परियोजनाओं के टैरिफ मूल्य, टैरिफ संरचना तथा अन्य शर्तों के अनुसार विद्यमान अक्षय उर्जा परियोजनायें, जिनके लिए अक्षय ऊर्जा हेतु विद्युत क्रय अनुबंध पहले से ही किये जा चुके हैं, विद्यमान वि.क्र.अ. (विद्युत क्रय अनुबंध) की अवधि की समाप्ति के बाद, अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (अऊप्र) योजना में शामिल हो सकती है।
2. लेकिन शर्त यह है कि ऐसी उत्पादन कम्पनी जिसने अक्षय ऊर्जा के अधिमानता टैरिफ पर विक्रय क्रय अनुबंध कर रखा है, अनुबंध की पूर्व परिपक्व समाप्ति की दशा में अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र योजना में, ऐसे अनुबंध की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा वि.क्र.अ. की समाप्ति की नियत तिथि, जो भी पहले हो, तक शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होगी।
3. राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 के लागू होने के पश्चात् बहुवर्षीय नियन्त्रणावधि के दौरान चालू होने वाली नई अक्षय ऊर्जा परियोजनायें तथा जिन्होंने उपरोक्त विनियम के जारी होने के पूर्व अक्षय ऊर्जा क्रय विद्युत क्रय अनुबंध नहीं किये हैं, के पास या तो राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 की टैरिफ संरचना तथा उसमें अनुबद्ध अन्य शर्तों को अनुज्ञप्तिधारी के अनुबंध के अध्यक्षीन अपनाने या अऊप्र क्रियाविधि की कीमत निर्धारण को अपनाने का विकल्प होगा।
4. अगर अक्षय उर्जा प्रबंधन क्रियाविधि निरस्त/खत्म होती है या अक्षय उर्जा उत्पादक स्वयं ही अक्षय उर्जा प्रबंधन क्रियाविधि से बाहर जाता है तो अक्षय उर्जा उत्पादक अधिमानता टैरिफ क्रियाविधि को अपना सकता है बशर्ते की अनुज्ञप्तिधारी के अक्षय उर्जा बाध्यता के लक्ष्य में समायोजन की गुंजाइश हो, उस टैरिफ पर जो कि आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा/या अक्षय उर्जा को परस्पर सहमत टैरिफ पर अन्य बाध्यक संस्था को बेच सकता है।

जविविनिलि के लिए विव 2016-17 की विद्युत क्रय की जमा लागत का निर्धारण

- राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010, के विशिष्ट अनिवार्य दायित्व के निर्वहन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए अक्षय ऊर्जा तथा/या अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र क्रय करना अवश्यक बनाते है।
- वितरण अनुज्ञप्तिधारी अक्षय ऊर्जा तथा/या प्रमाण पत्र, अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रियाविधि के अनुसार निम्नवत् क्रय कर सकता है:-
 - विद्युत अवयव की प्रभावी कीमत विद्युत क्रय की पूलित लागत के समान होगी।
 - प्रमाण पत्र, विद्युत विनियम में अन्वेषित मूल्य पर क्रय किये जा सकते है।
- विव 2016-17 के लिए पूलित लागत के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ, जविविनिलि ने विव 2015-16 के अंकेक्षित लेखो के आधार पर विद्युत क्रय लागत तथा मात्रा को ध्यान में रखा है।
- इसके अतिरिक्त विद्युत क्रय की पूलित लागत का विनिर्धारण करते समय जविविनिलि ने अल्पावधि विद्युत क्रय तथा अक्षय ऊर्जा को छोडकर, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले नाभियकीय विद्युत केन्द्रों, जलीय विद्युत केन्द्रों तथा एनवीवीएन से क्रय की गई बन्डलड पावर के तापीय अवयव को ध्यान में रखा है।
- विव 2015-16 की विद्युत क्रय की लागत तथा मात्रा के आधार पर विव 2016-17 के लिए पूलित लागत **3.4345 रूपये** प्रति यूनिट आती है। विव 2015-16 के लिए विद्युत क्रय का विवरण अनुलग्नक 1 में संलग्न है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 की पूलित लागत का विस्तृत परिकलन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्रोत वार विद्युत क्रय स्टेशन	विद्युत क्रय (मिलियन ईकाइयों)	विद्युत क्रय लागत (रु. करोड में)			दर (रु. /कि. वा.घ.)	भारित औसत कीमत (रु./कि. वा.घ.)
			स्थाई प्रभार	विद्युत प्रभार	योग		
क	एनटीपीसी						
1	अन्ता जीटीपीएस	67.0158	16.0654	23.8101	39.8754	5.9502	0.0160
2	औरइया जीटीपीएस	46.1935	9.3418	18.3742	27.7159	6.0000	0.0111
3	दादरी जीटीपीएस	86.4679	11.9022	31.0237	42.9259	4.9644	0.0172
4	एफजीयूटीपीएस-I	22.7444	3.6113	6.1792	9.7906	4.3046	0.0039
5	एफजीयूटीपीएस-II	55.5730	7.1312	14.9756	22.1068	3.9780	0.0089
6	एफजीयूटीपीएस-III	31.7103	7.0678	9.9482	17.0160	5.3661	0.0068
7	एफएसटीपीएस	18.2418	2.3190	4.9336	7.2526	3.9758	0.0029
8	कहलगाँव एसटीपीएस-I	33.1403	6.3104	7.6797	13.9901	4.2215	0.0056
9	कहलगाँव एसटीपीएस-II	179.5980	33.8380	43.1101	76.9481	4.2845	0.0308
10	रिहन्द एसटीपीएस	203.4729	18.7498	35.2382	53.9879	2.6533	0.0216
11	रिहन्द II	213.3657	23.0061	34.2675	57.2736	2.6843	0.0229
12	रिहन्द III	249.9474	45.1810	41.4729	86.6538	3.4669	0.0347

13	सिंगरोली	894.7947	43.4764	123.8070	167.2834	1.8695	0.0670
14	तलचर एसटीपीएस	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
15	केएचपीएस - 1	75.2542	22.3797	20.4883	42.8680	5.6964	0.0172
16	एनसीटीपीएस 1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
17	एनसीटीपीएस 2	8.9620	0.8181	3.1743	3.9924	4.4548	0.0016
	योग	2186.4817	251.1982	418.4825	669.6808	3.0628	0.2681
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	16.6794	-9.1612	7.5182		
	योग (समायोजन के साथ)	2186.4817	267.8777	409.3213	677.1990	3.0972	0.2711
ख	एनएचपीसी						
1	तनकपुर हाइड्रो	14.9777	3.0260	2.4142	5.4402	3.6322	0.0022
2	सलाल	40.4084	2.2393	6.6565	8.8958	2.2015	0.0036
3	चमेरा-I	200.4577	14.3377	19.9391	34.2768	1.7099	0.0137
4	चमेरा-II	60.7413	8.4182	8.5045	16.9227	2.7860	0.0068
5	चमेरा-III	46.1085	11.7175	12.7494	24.4669	5.3064	0.0098
6	उरी हाइड्रो	114.3523	9.0820	14.4596	23.5417	2.0587	0.0094
7	उरी हाइड्रो 2	53.1818	14.3226	13.4261	27.7486	5.2177	0.0111
8	धौलीगंगा	41.5440	6.4151	8.7317	15.1468	3.6460	0.0061
9	दलहस्ती	104.2288	28.5917	31.9355	60.5272	5.8071	0.0242
10	पारबती	28.4217	5.4629	7.8263	13.2892	4.6757	0.0053
11	सेवा-II	25.3149	6.0756	5.7722	11.8478	4.6802	0.0047
	योग	729.7370	109.6886	132.4150	242.1036	3.3177	0.0969
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	4.1884	10.7867	14.9751		
	योग (समायोजन के साथ)	729.7370	113.8770	143.2017	257.0787	3.5229	0.1029
ग	नेवेली लिग्नाइट	441.1253	106.9249	53.7566	160.6815	3.6425	0.0643
घ	एसजेविनल-नाथपा- झाकरी	224.4627	34.7431	31.0637	65.8068	2.9317	0.0263
	रामपुर	61.7198	11.8458	9.9935	21.8392	3.5385	0.0087
	योग	286.1825	46.5889	41.0572	87.6461	3.0626	0.0351
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	योग (समायोजन के साथ)	286.1825	46.5889	41.0572	87.6461	3.0626	0.0351
ड.	एनपीसीएल						
	एनएपीपी	131.4829	0.0000	32.9637	32.9637	2.5071	0.0132
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	-0.0091	-0.0091		
	योग (समायोजन के साथ)	131.4829	0.0000	32.9546	32.9546	2.5064	0.0132
च	आरएपीपी - I व II	381.6522	0.0000	106.5250	106.5250	2.7912	0.0426
	आरएपीपी - III व IV	437.5156	0.0000	122.5992	122.5992	2.8022	0.0491
	आरएपीपी - (V) व (VI)	276.6206	0.0000	95.6456	95.6456	3.4576	0.0383
	आरएपीपी - (V)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	योग (आरएपीपी)	1095.7884	0.0000	324.7698	324.7698	2.9638	0.1300
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	-0.0473	-0.0473		
	योग (समायोजन के साथ)	1095.7884	0.0000	324.7225	324.7225	2.9634	0.1300
छ	राज्य उत्पादन एवं अन्य						
	केटीपीएस (1-7)	2784.9288	188.8840	777.0020	965.8860	3.4683	0.3867

	एसटीपीएस (1-6)	2110.2198	277.4298	765.0758	1042.5056	4.9403	0.4174
	डीसीसीपीपी	113.0808	32.8350	37.3779	70.2129	6.2091	0.0281
	सीटीपीपी (1&2)	591.4974	85.9822	117.3702	203.3524	3.4379	0.0814
	सीटीपीपी (4)	530.5537	85.0094	110.7879	195.7973	3.6904	0.0784
	सीटीपीपी (3)	474.5538	91.5903	98.6032	190.1935	4.0078	0.0761
	जीएलटीपीपी 2	0.0000	19.8741	-1.3750	18.4991		
	आरजीटीपी (1&2)	191.0519	6.0689	64.7585	70.8274	3.7072	0.0284
	कटीपीपी#1	1328.9600	292.1317	315.3052	607.4369	4.5708	0.2432
	कटीपीपी#2	980.9396	134.4949	253.2099	387.7048	3.9524	0.1552
	आरजीटीपी (3)	392.7079	58.0565	129.2116	187.2681	4.7686	0.0750
	माही	66.9336	6.1727	5.3744	11.5472	1.7252	0.0046
	जीपीटीपीपी	77.7911	25.4173	10.4372	35.8544	4.6091	0.0144
	राजवेस्ट पावर लि.	2558.5870	581.7435	464.0628	1045.8063	4.0874	0.4187
	योग	12201.8055	1885.6903	3147.2016	5032.8919	4.1247	2.0150
ज	कोस्टल गुजरात	1004.5169	104.2652	134.8383	239.1035	2.3803	0.0957
झ	कुल साझा परियोजनाएं/अन्य						
1	टेहरी हाइड्रो	96.3023	28.5825	26.0240	54.6065	5.6703	0.0219
2	कोटेश्वर	43.1881	8.4696	7.9333	16.4029	3.7980	0.0066
	योग	139.4904	37.0521	33.9573	71.0094	5.0906	0.0284
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	0.9276	0.9276		
	योग टीएचडीसी (समायोजन के साथ)	139.4904	37.0521	34.8849	71.9370	5.1571	0.0288
	ताला द्वारा पीटीसी (भूटान)	19.2533	0.0000	3.8892	3.8892	2.0200	0.0016
	पूर्व अवधि प्रभार	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	योग (समायोजन के साथ)	19.2533	0.0000	3.8892	3.8892	2.0200	0.0016
	बीबीएमबी (भारवडा, देहर, पोंग)	1025.7793	0.0000	47.6520	47.6520	0.4645	0.0191
	चम्बल/ सतपुरा	345.7860	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	योग	1530.3090	37.0521	86.4261	123.4782	0.8069	0.0494
ञ	एनवीवीएन बन्डलड पाँवर (थरमल)	734.3005	75.3829	142.5379	217.9207	2.9677	0.0872
ट	अरावली पाँवर लि.	3.2840	2.6726	0.0486	2.7213	8.2865	0.0011
ठ	अडॉनी पाँवर राजस्थान	3293.0027	505.3260	664.1319	1169.4578	3.5513	0.4682
ड	सासन पाँवर लि.	1161.3270	17.0762	175.0041	192.0802	1.6540	0.0769
ढ	करचम वांगटू	177.3841	0.0000	60.3106	60.3106	3.4000	0.0241
	कुल योग	24976.7273	3162.7337	5415.5129	8578.2466	3.4345	3.4345

प्रार्थना:

याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है:-

1. माननीय आयोग द्वारा इस याचिका को स्वीकार करने के लिए।
2. माननीय आयोग द्वारा विव 2016-17 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पूलित लागत का विनिर्धारण करने के लिए तथा **रु. 3.4345** प्रति यूनिट की दर से पूलित लागत को अनुमत करने के लिए।
3. किसी भी अनभिप्रेत भूल/त्रुटि/कमियों को माफ करने तथा जविविनिलि को इस दायरीकरण में जोड़ने/परिवर्तन करने/आशोधित करने तथा बदलने तथा आगे की तिथि में यथावश्यक अग्रेतर प्रस्तुतीकरण की अनुमति देने के लिए।
4. प्रकरण के तथ्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये माननीय आयोग द्वारा सही तथा उचित समझा जाने वाला अन्य तथा अग्रेतर आदेश पारित किये जाने के लिए।

Annexure-I

FY 2015-16		
As per audited accounts		
Particulars	Units in MU	Rs. Crore
Purchase of energy	22,933.94	9,461.98
Less : Sale of energy through power exchange	131.77	33.50
Net availability before transmission loss	22,802.17	9,428.48
Power Purchase Reconciliation		
Particulars	Power Purchase (MU)	Cost (Rs. Crore)
Total power purchase and cost as furnished by Discom (A)	22,933.94	9,461.98
Less: Transmission Charges		
PGCIL	--	417.16
MARU		12.26
RVPNL		678.37
SLDC		5.46
ARAVALI	--	7.65
NRLDC POSCO	--	0.88
Transmission Charges (B)	--	1,121.79
Less: the following		
Short Term Purchase	811.49	281.56
RE Power	2,073.62	961.79
NVVN Solar	125.66	133.45
Inter Discom	697.73	283.91
UI	(275.22)	(6.03)
RVUN Hydel Stations below 25 MW	2.10	0.79
Banking	(493.09)	(178.80)
Total (C)	2,942.28	1,476.68
Power Purchase considered for Pooled cost =(A)-(B)-(C)	19,991.66	6,863.51
Power purchase (MU)	Total cost (Rs. Crore)	Weighted average price (Rs./kwh)
19,991.66	6,863.51	3.4332